

१५/१२/२०२०

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलाकनापरात स्पष्ट होता है कि वर्त्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष कीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्त्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लखापित एवं संशोधित।

१५/१२/२०२०
अभुमण्डल दण्डाधिकारी,
गाडु।

१५/१२/२०२०
अभुमण्डल दण्डाधिकारी,
गाडु।